रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1139] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2015/ज्येष्ठ 8, 1937
No. 1139] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2015/JYAISTHA 8, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

का.आ. 1438(अ).—पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 16(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 1 जून, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1263(अ) के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार लोकहित में पेट्रोलियम के आयात की आवश्यकता पर विचार करते हुए, एतद्द्वारा गुजरात के दहेज पत्तन को 1.6.2015 से आने वाले तीन वर्षों के लिए समुद्र द्वारा भारत में पेट्रोलियम आयात के लिए अधिसूचित करती है।

[फा. स. पीडी–25018/3/2015–एमपी]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2015

S.O. 1438(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Shipping No. S.O. 1263(E) dated 1st June, 2012 the Central Government in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby notifies Dahej Port in Gujarat for importing petroleum in India by sea for a further period of three years from 1.6.2015.

[F. No. PD-25018/3/2015-MP]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2015

का.आ. 1439(अ).—पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 1 जून, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1263(अ) के अनुक्रम में, केन्द्रीय सरकार लोकहित में पेट्रोलियम के आयात की आवश्यकता पर विचार करते हुए, एतद्द्वारा गुजरात के मदगल्ला (सूरत) पत्तन को 1.6.2015 से आने वाले तीन वर्षों के लिए समुद्र द्वारा भारत में पेट्रोलियम आयात के लिए अधिसूचित करती है।

[फा. सं. पीडी–25018/3/2015–एमपी]

एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2015

S.O. 1439(E).—In exercise of the powers conferred under Rule 16 (1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of the notification of Government of India, Ministry of Shipping No. S.O. 1263(E) dated 1st June, 2012 the Central Government in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby notifies Magdalla (Surat) Port in Gujarat for importing petroleum in India by sea for a further period of three years from 1.6.2015.

[F. No. PD-25018/3/2015-MP]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.